137 सीईटीएफ बटालियन (प्रादेशिक सेना)

39 गोरखा राइफल में भर्ती प्रक्रिया

1. 137 सीईटीएफ बटालियन (प्रादेशिक सेना) 39 गोरखा राईफल में तारीख **21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक 11 गोरखा राईफल रेजीमेंटल सेंटर लखनऊ छावनी, (उत्तर प्रदेश) में भूतपूर्व सैनिकों (अखिल भारतीय आधार)** और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी (स्वैच्छिक सेवानिवृति शामिल) की भर्ती नीचे दी गई पदो के लिए आयोजित की जायेगी। योग्य अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ **21 अक्टूबर 2024 को सुबह 07:00 बजे** दिये गये स्थान पर शारीरिक क्षमता परीक्षण, मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचे:

2.	रिक्त पद: वर्ग	पद
(क)	कनिष्ठ अधिकारी (JCOs)	07
(ख)	धर्म शिक्षक कनिष्ठ अधिकारी (RT JCO)	01
(ग)	सिपाही सामान्य ड्यूटी (Sepoy GD)	164
(घ)	सिपाही लिपिक (Clerk Staff Duty)	02
(ड)	सिपाही दर्जी (Tailor)	01
(च)	सिपाही रसोईया (Chef Community)	03
(छ)	सिपाही ड्रेसर (Dresser)	02
(ज)	सिपाही धोबी (WM)	02
(झ)	सिपाही कारीगर धातुकर्म (Artisan Metallurgy)	01
(ञ)	सिपाही सफाईवाला (House Keeper)	01
	कुल पद	**184**

3. पात्रता:

(क) भर्ती में हिस्सा लेने के लिए कनिष्ठ अधिकारी (JCOs) और अन्य पद (OR) को सेवानिवृत्ति के 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी 55 वर्ष तक और अन्य पद 50 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं।

(ख) **चिकित्सा श्रेणी-** SHAPE-I

(ग) **चरित्र-** EXEMPLARY/VERY GOOD

(घ) **योग्यता:** भूतपूर्व सैनिक (भारतीय थल सेना से जिसको पेन्शन मिल रही है)। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारी (स्वैच्छिक सेवानिवृति शामिल) जो कि कम से कम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग में 20 साल नौकरी कर चुकी हों।

(ड.) **लम्बाई:**

(अ) 160 सेमी. (गोरखा, गढ़वाली और आसामी के लिए 152 सेमी)।
(आ) भूतपूर्व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और राज्य वन विभाग के कर्मचारियों की महिलाओं के लिए 150 सेमी।
नोट: महिलाएं जो कि उत्तर पूर्व भारत और पहाड़ी क्षेत्र के गोरखा, आसामी तथा गढ़वाली महिलाओं की लम्बाई में 5 सेमी की छूट दी जायेगी।

(च) **वजन:** पुरूष 50 किलो तथा महिलाओं के लिए 42 किलो।

(छ) **सीना:**

(अ) पुरूष 82 सेमी (फुलाव कम से कम 05 सेमी)।
(आ) महिलाओं के लिए सिर्फ फुलाव कम से कम 05 सेमी।

4. शारीरिक परीक्षण: (केवल पुरूषों के लिए)

(क) 1 मील दौड़। **(ख)** पुल अप्स। **(ग)** खाई। **(घ)** जिगजैग बैलेंस।

5. प्रवीणता जॉच: (क) ट्रेड परीक्षा केवल ट्रेडसमैन के लिए,
(ख) पूर्व महिला उम्मीदवारों की प्रवीणता जॉच वनरोपण और नर्सरी प्रबंधन में की जायेगी।

6. जरूरी दस्तावेज: (क) मुक्ति पुस्तक (Discharge Book), (ख) पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.), (ग) आठ पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ, (घ) पुलिस प्राधिकारी/ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, (ड) शिक्षा प्रमाण पत्र, (च) राज्य अधिवास प्रमाण पत्र।

7. मेडिकल परीक्षण: शारीरिक परीक्षण पास किये हुए उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जायेगा।

8. साक्षात्कार: जो उम्मीदवार शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षण में पास होंगे उनका साक्षात्कार किया जायेगा।

9. आवश्यक सूचना: (क) भूतपूर्व सैनिक और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी (स्वैच्छिक सेवानिवृति शामिल) को सिपाही के पद पर नियुक्त किया जायेगा और भूतपूर्व कनिष्ठ अधिकारी और द्वितीय श्रेणी अधिकारी या समकक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारियों को नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जायेगा। जूनियर कमीशंड अधिकारी के मामले में सूबेदार के पद तक और अन्य पद के मामले में हवलदार तक की पदोन्नति दी जा सकती है, बशर्ते की वे सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हों। **(ख)** प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है, जिसमें नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लम्बी अवधि के एम्बॉडीमेन्ट के लिए यह संस्था कोई वादा नहीं करती है। संस्था/सेना की आवश्यकता के आधार पर ही इसमें भर्ती हुये लोगों को अस्थायी रोजगार दिया जायेगा क्योंकि संस्था/सेना द्वारा स्थायी रूप से रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। **(ग)** भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व महिला कर्मचारियों को दो साल की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा, उसके पश्चात सैनिकों का संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगामी सेवा में एक-एक साल के लिये बढ़ाया जायेगा। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा परियोजना को जारी रखने तक। यूनिट बोर्ड आफ आफिसर्स द्वारा अनुपयुक्त और अवांछनीय नामांकित पूर्व सैनिक कर्मियों को अनुपयुक्त पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा। **(घ)** कनिष्ठ अधिकारी 55 साल और अन्य पद 50 साल तक सर्विस कर सकते है। **(ड) मूल वेतन और महंगाई भत्ता:-** सभी प्रादेशिक सेना कार्मिक अपने रैंक और सेवा समूह के अनुसार मूल वेतन के हकदार होंगे। समय-समय पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता भी लागू होगा। **(च) अन्य भत्ता:-** अन्य भत्ते जैसे, बच्चों की शिक्षा भत्ता, पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता और सड़क माइलेज भत्ता आदि मिलेगा। **(छ) पेंशन और ग्रेच्युटी:-** भूतपूर्व सैनिकों और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारियों को इस संस्था द्वारा किसी भी तरह की पेन्शन और ग्रेच्युटी प्रदान नहीं की जायेगी। **(ज) कैंटीन और चिकित्सा सुविधा:-** सीईटीएफ बटालियन (प्रादेशिक सेना) में नामांकित कर्मी कैंटीन और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे, जैसा सेना की अन्य युनिटों को लागू है।

ध्यान दें: (क) यह भर्ती निशुल्क सेवा है। इसमें भर्ती के लिए किसी को भी रिश्वत न दें। बिचौलियों से दूर रहें। अगर कोई अभ्यर्थी रिश्वत देते पकड़ा गया या इसमें लिप्त पाया गया तो उसका चयन रद्द कर दिया जायेगा। **(ख)** भर्ती के लिए लाए गये दस्तावेज पर किसी भी प्रकार के उपरी लेखन को माना नही जाएगा। **(ग)** गलत दस्तावेज व गलत सूचना देने पर कानून के आधार पर दण्ड अथवा नौकरी से बरखास्त कर दिया जायेगा। **(घ)** रैली के स्थान पर मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है। **(ङ)** रैली में किसी भी प्रकार की दुर्घटना/घटना के लिए भर्ती बोर्ड की कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी। (च) भर्ती रैली के दौरान कोई आवास और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पूछताछ इस नम्बर पर करें -05322421904 और मोबाईल नम्बर-7309677687 तथा अधिक जानकारी के लिए रोजगार समाचार पत्र देखें और प्रदेशिक सेना की वेबसाइट- **www.jointerritorialarmy.gov.in**